(b) if so, the details of the central criteria and, criteria adopted by various States;

(c) whether it is also a fact that certain castes in OBC have attained high status and affluence and have cornered most of the benefits and deserve to be 'upgraded' as upper castes; if no, why; an

(d) whether departure from the central criteria in defining "Creamy layer" of OBC is lawful ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) and (b) The details of the social economic criteria for exclusion of the "creamy layer" from the OBCs for the purpose of reservation in civil services and posts under the Govt. of India are given in the Annexure. [*See* Appendix 170. Annexure No 72.]

Information on criteria adopted by various States is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The very purpose of defining the "creamy layer" is to exclude socially advanced persons/sections from the OBCs who merit exclusion from the benefit of reservation.

(d) The Supreme Court in its majority judgment in Mandal Case delivered on 16th November, 1992 required the Central Government as well as each of the State Governments to evolve its own criteria for excluding the "creamy layer" from the OBCs.

**स्वैच्छिक संगठनों को सहायता**

**3593. श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृद्धों तथा समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये स्वैच्छिक संगठनों को कोई सहायता दे रही है, यदि हां, तो हर वर्ष अनुदान की कितनी राशि स्वीकृत की जाती है;

(ख) उसका गत दो वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन संगठनों द्वारा किये गए कार्य की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितने स्वैच्छिक संगठनों ने निधियों का दुरुपयोग किया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू)** : (क) और (ख) जी, हां राज्यवार विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**) ।

(ग) स्वयंसेवी संगठनों ने देश में वृद्धावस्था गृहों तथा दिवा देखभाल केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान किया है और समाज के कमजोर वर्गों की समाजार्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता की है ।

(घ) और (ङ) स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों की आवधिक समीक्षा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से रिपोर्टों की प्राप्ति, तुलन-पत्रों और वार्षिक लेखा-परीक्षित खातों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिकारियों के दल द्वारा किये जाने वाले आकस्मिक निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है । 1993-94 के दौरान असंतोषप्रद निष्पादन अथवा निधियों के दुरुपयोग के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र में 12 संगठनों के सहायतानुदान रोक दिये गये । संबंधित जिला प्राधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि वे इन संगठनों की परिसम्पत्तियों को सील कर दें ।

## विवरण

1991-92 और 1992-93 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों के संबंध में स्वयंसेवी संगठनों को दी गई सहायता की धनराशि दर्शाने वाला विवरण ।

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1991–92 | | 1992–93 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | इनसे संबंधित कार्यक्रम वृद्ध व्यक्तियों | अन्य कमजोर वर्गों (रुपयों में) | इनसे संबंधित कार्यक्रम वृद्ध व्यक्तियों | अन्य कमजोर वर्गों (रुपयों में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5,73,413 | 20,69,296 | 5,98,098 | 50,52,859 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | — | 35,41,202 | — | 57,86,8[illegible] |
| 3 | असम | — | 27,06,468 | 75,083 | 20,75,447 |
| 4 | बिहार | 20,790 | 28,85,048 | 36,405 | 34,82,252 |
| 5 | दिल्ली | 12,74,211 | 1,50,78,938 | 13,32,845 | 1,89,61,803 |
| 6 | गुजरात | — | 47,998 | — | 2,77,170 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | — | — | 15,300 | — |
| 8 | हरियाणा | 2,03,441 | 1,05,407 | 3,60,640 | 1,63,377 |
| 9 | जम्मू व कश्मीर | — | 96,840 | — | 2,17,035 |
| 10 | कर्नाटक | — | 71,62,400 | 2,53,425 | 40,15,095 |
| 11 | केरल | 47,520 | 15,11,933 | 26,730 | 33,32,596 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 83,615 | 2,64,985 | 4,34,278 | 13,79,510 |
| 13 | मणिपुर | 2,03,884 | 2,16,564 | 5,85,213 | 21,57,390 |
| 14 | नागालैंड | | 1,30,925 | | 2,08,620 |
| 15 | उड़ीसा | 8,28,411 | 10,13,093 | 21,25,755 | 43,21,684 |
| 16 | पंजाब | — | — | 13,770 | — |
| 17 | पांडिचेरी | — | — | 1,95,772 | — |
| 18 | राजस्थान | 2,60,621 | 13,84,316 | 2,45,719 | 20,01,189 |
| 19 | तमिलनाडु | 7,01,645 | 5,53,318 | 18,45,205 | 19,46,373 |
| 20 | त्रिपुरा | 2,29,605 | 95,661 | 5,86,884 | 9,29,504 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 11,05,583 | 39,36,367 | 32,52,903 | 1,06,60,918 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 59,220 | 16,96,112 | 5,94,392 | 48,41,541 |